राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–17 / 2024
नागेश्वरी देवी बनाम उर्मिला देवी।

यह वाद श्रीमती नागेश्वरी देवी, पति–श्री सुखलाल भगत, ग्राम–मुहम्मदपुर बाल्मी, वार्ड संख्या–01, मोतीपुर, नगर परिषद्, थाना+प्रखण्ड–मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर द्वारा श्रीमती उर्मिला देवी, पति–श्री विशुनदेव, साहनी, पता–ग्राम–मुहम्मदपुर बाल्मी, थाना–मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–01, नगर परिषद्, मोतीपुर,) के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–01, नगर परिषद्, मोतीपुर के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती नागेश्वरी देवी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र कुमार चौबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी उर्मिला देवी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री अनुज कुमार द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री नवीन कुमार , जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि विचाराधीन वाद बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के उल्लंघन का मामला है तथा उनके द्वारा साक्ष्य के संबंध में अपने वाद–पत्र के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरूराज, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर से आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–165, महमदपुर, बलमी से परिवार सर्वेक्षण पंजी संलग्न किया गया है, जिसमें प्रतिवादी के 04 संतान सचिन कुमार, जन्मतिथि–01.01.2001, संध्या कुमारी, जन्मतिथि–27.08.2004, सौरभ कुमार, जन्मतिथि–02.11.2006 एवं रत्नेश कुमार, जन्मतिथि–27.04.2009 अंकित है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि आँगनबाड़ी–पंजी में सरकारी पदाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया, यह अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है, जिसका साक्ष्य अधिनियम में काफी महत्व है।

वादी द्वारा साक्ष्य के संबंध में प्रतिवादी के अंतिम संतान रत्नेश कुमार का राजकीय मध्य विद्यालय महमदपुर, बलमी में नामांकन–पंजी साक्ष्य के संबंध में दिखाया गया तथा बताया गया कि उक्त पंजी में जन्मतिथि–27.03.2009 के अपलेखित कर दिनांक–27.03.2008 किया गया है। आगे उनके द्वारा रत्नेश कुमार के आधार कार्ड Rejoinder के माध्यम से साक्ष्य के संबंध में दिखाया गया तथा बताया गया कि उक्त आधार कार्ड में प्रतिवादी द्वारा जन्मतिथि को जान–बुझकर बदल कर दिनांक–27.03.2008 किया गया है तथा जिसे सूक्षम अवलोकन के पश्चात् निर्गत की तिथि–08.08.2022 प्रतीत होता है। उक्त सभी साक्ष्यों यथा–विद्यालय नामांकन–पंजी, आँगनबाड़ी केन्द्र से निर्गत परिवार सर्वेक्षण पंजी से यह साबित होता है कि

प्रतिवादी के अंतिम संतान का जन्मतिथि Cut of date-04-04-2008 के बाद हुआ है तथा उनके द्वारा अपने नामांकन–पत्र में जान–बुझकर संतान के संबंध में गलत सूचना दर्ज की गई, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत निरर्हता साबित होता है।

4. प्रतिवादी के द्वारा प्रतिशपथ–पत्र दायर किया गया तथा बताया गया कि उनके द्वारा अपने नामांकन–पत्र में सभी तथ्यों को सही जानकारी दर्ज की गयी है तथा उन्हें कुल 05 संतान (03 पुत्र एवं 02 पुत्री) है, जिनका जन्मतिथि–17.05.1998 (नितू कुमारी), जन्मतिथि–02.01.2000 (सचिन कुमार), जन्मतिथि–27.05.2004 (संध्या कुमारी), जन्मतिथि–02.11.2006 (सौरव कुमार) एवं जन्मतिथि–27.03.2008 (रत्नेश कुमार) है उक्त जन्मतिथि के संबंध में उनके द्वारा अपने सभी 04 संतानों का 10वीं कक्षा की अंक–पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया तथा अपने अंतिम संतान रत्नेश कुमार का जन्मतिथि के संबंध में विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र, विद्यालय परिचय–पत्र तथा नौवीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा का प्राप्तांक प्रविष्टि प्रपत्र का अवलोकन कराया गया। आगे उनके द्वारा वादी के द्वारा संलग्न आँगनबाड़ी परिवार सर्वेक्षण पंजी के संबंध में बताया गया कि उक्त पंजी में उनके केवल 04 संतानों का ही विवरणी दर्ज है तथा यह पंजी प्रतिवादी या उनके पति किन्ही के द्वारा हस्ताक्षर/सत्यापित नहीं की गयी है तथा पंजी में निर्गत तिथि दर्ज नहीं है, न ही आँगनबाड़ी सेविका के द्वारा उक्त पारिवारिक विवरण के संबंध में कभी पूछताछ की गयी और न ही प्रतिवादी के कोई भी पारिवारिक सदस्य लाभूक है। जिससे यह साबित होता है कि वादी द्वारा Fabricated Documents के आधार पर यह वाद लाया गया है।

आगे उनके द्वारा बताया गया कि Juvenile Justice Act जो बच्चे की आयु निर्धारण के लिये अनुमान और प्रक्रिया निर्धारित करता है, इसके तहत विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण–पत्र आयु निर्धारण के लिये निर्णायक साक्ष्य होगा तथा राजकीय मध्य विद्यालय महमदपुर, बलमी के प्रधानाध्यापक के द्वारा निर्गत विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र रत्नेश कुमार के जन्म निर्धारण का पुख्ता सबूत है तथा यह वाद वादी के द्वारा चुनाव हारने के बाद Fabricated Documents के आधार पर लायी गयी है तथा इस वाद में लगाये गये सभी Allegation ठोस साक्ष्य/अभिलेखों से रहित है। अतः इस वाद को Merit के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

आगे उनके द्वारा बताया गया कि वाद के साथ संलग्न आँगनबाड़ी सर्वे–पंजी में केवल 04 संतानों का विवरण जन्मतिथि के साथ दर्ज है, जिसमें 02 संतान सचिन कुमार एवं संध्या कुमारी का जन्मतिथि गलत अंकित है, जिससे इस सर्वे पंजी के विश्वसनीयता पर अपने–आप में संदेह प्रतीत होता है तथा आँगनबाड़ी सर्वे–पंजी जन्मतिथि निर्धारण हेतु कोई निर्णायक सबूत नहीं है तथा उक्त पंजी पर तभी विचार किया जा सकता है, जब कोई दूसरा साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध न हो। किन्तु इस केस में जन्मतिथि निर्धारण के लिये विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र साक्ष्य के रूप में मौजूद है। जिला प्रतिवेदन के संबंध में प्रतिवादी द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा केवल आँगनबाड़ी सर्वे–पंजी के आधार पर ही जाँच प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित

की गयी तथा रत्नेश कुमार के विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र पर विचार नहीं किया गया। आगे उनके द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा प्रेषित किये गये, जाँच प्रतिवेदन के कंडिका–03 का वाचन किया गया, जो निम्नवत् है:–

"छात्र प्रवेश पुस्तिका के क्रमांक–24 पर रत्नेश कुमार, पिता विशुणदेव सहनी का नाम अंकित है, जिसमें उनका जन्मतिथि–27.03.2008 अंकित किया हुआ है। अंकित जन्मतिथि के वर्ष में अधिलेखन (Over Writing) स्पष्ट है।" उनके द्वारा बताया गया कि अगर वर्ष में अधिलेखन (Over Writing) किया हुआ है, तो वास्तविक जन्मतिथि–27.03.2009 होना चाहिये। लेकिन आँगनबाड़ी सर्वे–पंजी में दिनांक–27.04.2009 अंकित है, जिससे यह वाद दो भिन्न–भिन्न जन्मतिथि के मामले में Disputed Question of Facts बनता है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रजनी कुमारी वाद के आलोक में यह वाद–पत्र Unimpeachable साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, जिसके कारण आयोग में Maintainable नहीं है।

आगे उनके द्वारा Juvenile Justice Act के अन्तर्गत माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के आलोक में तर्क दिया गया कि:–

"School leaving Certificate is conclusive proof for date of birth and till it is valid and existing, no other document can be relied upon for consideration of date of birth." आगे उनके द्वारा आधार कार्ड क संबंध में UIDAI का Circular No. 08 of 2023 का पारा–04 का वाचन किया गया, जो निम्नवत् है:–

"An Aadhar Number can be used for establishing identity of an individual subject to authentication and thereby, Per se its not a proof of date of birth."

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–2069/पं0, दिनांक–30.07.2024, पत्रांक–2456/पं0, दिनांक–02.09.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् है:–

"(iii) प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय, महमदपुर बलभी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–01, दिनांक–31.05.2024 द्वारा छात्र प्रवेश पुस्तिका वर्ष–2015–16 के सत्यापित छायाप्रति एवं रत्नेश कुमार, माता–श्रीमती उर्मिला देवी, पिता–श्री विशुणदेव सहनी का विद्यालय स्थानान्तरण पंजी की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है। छात्र प्रवेश पुस्तिका के क्रमांक–24 पर रत्नेश कुमार, पिता–श्री विशणुदेव सहनी का नाम अंकित है, जिसमें उनका जन्मतिथि–27.03.2008 अंकित किया हुआ है। अंकित जन्मतिथि के वर्ष में अधिलेखन(Over Writing) स्पष्ट है।

(iv) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरूराज (मोतीपुर) ने अपने पत्रांक–514, दिनांक–31.08.2024 द्वारा केन्द्र संख्या–165, महमदपुर बलभी, वार्ड संख्या–07 के आँगनबाड़ी केन्द्र से संबंधित सर्वेक्षण–पंजी के पृष्ठ संख्या–63 की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिसमें भी जन्मतिथि–27.04.2009 अंकित है।

अतः उपरोक्त साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्रीमती उर्मिला देवी के छोटे पुत्र श्री रत्नेश कुमार का जन्मतिथि–27.04.2009 को हुई थी, जिसका सत्यापन आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–165 के सर्वेक्षण–पंजी से भी स्पष्ट होता है।''

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

i. ''आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती उर्मिला देवी, पति–श्री विशनुदेव, साहनी, पता–ग्राम–मुहम्मदपुर बालमी, थाना–मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–01, नगर परिषद, मोतीपुर) द्वारा दिनांक–04.04.2003 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–01, नगर परिषद मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर के पद पर निर्वाचित हो गये है।

प्रतिवादी द्वारा स्वयं अपने संतानों की संख्या पाँच स्वीकार की गयी है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा स्वयं अभ्यर्थी ''बायोडाटा'' में अपने संतानों की संख्या–05 (03 पुत्र एवं 02 पुत्री) घोषित की है। विवाद प्रतिवादी के अंतिम संतान अर्थात् रत्नेश कुमार के जन्मतिथि अर्थात् Cut of Date-04.04.2003 के उपरांत जन्म लेने अथवा उसके पूर्व जन्म लेने के बिन्दु पर है।

वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों में सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरुराज, मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर से आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–165, महमदपुर बलमी से परिवार सर्वेक्षण पंजी एवं राजकीय मध्य विद्यालय महमदपुर बलमी के प्रधानाध्यापक के माध्यम से निर्गत सत्यापित नामांकन पंजी द्वारा प्रतिवादी के अंतिम संतान रत्नेश कुमार के जन्मतिथि–27.04.2009 को सत्यापित पाया गया है। उक्त जन्मतिथि के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में रत्नेश कुमार की जन्मतिथि–27.04.2009 स्पष्ट किया गया है।

आयोग वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र कुमार चौबे के इस तर्क से सहमत है कि प्रतिवादी द्वारा अपने संतानों के संबंध में तथ्य छिपाकर वार्ड पार्षद के पद पर चुनाव लड़ा गया एवं विजय प्राप्त की गई।

प्रतिवादी के द्वारा रत्नेश कुमार की जन्मतिथि के संबंध में अपने प्रतिशपथ–पत्र के साथ संलग्न राजकीय मध्य विद्यालय महमदपुर बलमी के प्रधानाध्यापक के माध्यम से निर्गत विद्यालय स्थानान्तरण–पत्र, विद्यालय परिचय–पत्र तथा नौवीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा के

प्रान्तीक प्रवृष्टि प्रपत्र की वैधता स्वीकार योग्य नही है, क्योंकि उक्त सभी कागजात/अभिलेख अपलेखित(Over Writing) नामांकन–पंजी के आधार पर निर्गत की गयी है, जो उक्त सभी प्रमाण–पत्रों का अवैध होना प्रमाणित करता है। यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि प्रवेश–पंजी में अंकित जन्मतिथि का साक्ष्य के रूप में अधिक महत्व है, क्योंकि विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र नामांकन–पंजी में अंकित जन्मतिथि के आधार पर ही निर्गत किया जाता है, चूँकि नामांकन–पंजी में प्रतिवादी के संतान रत्नेश कुमार के जन्मतिथि में अपलेखन स्पष्ट प्रमाणित एवं दृष्टिगोचर है, जिसमें वर्ष–2008 के अंतिम अंक अर्थात् 8 को दूसरे रंग की स्याही से बदल कर 9 कर दिया गया है, ताकि वर्ष–2008 को 2009 बनाया जा सके। इससे यह प्रमाणित है कि वादी का दावा सत्य है, न कि प्रतिवादी का।

प्रतिवादी का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है कि यह वाद आयोग में Maintainable नहीं है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा रजनी कुमारी वाद (L.P.A. No. 566/2017) में यह स्थापित कर दिया गया है कि आयोग बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 में वर्णित सभी विषयों पर सुनवाई की अधिकारिता रखता है। मामला आयोग के समक्ष आने के उपरांत द्वितीय प्रश्न आता है कि वादी द्वारा दिया गया साक्ष्य Unimpeachable है, अथवा नहीं। विचाराधीन वाद में वादी द्वारा प्रतिवादी के अंतिम संतान रत्नेश कुमार के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरूराज, मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर से आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–165, महमदपुर बलमी से परिवार सर्वेक्षण पंजी एवं राजकीय मध्य विद्यालय महमदपुर बलमी के प्रधानाध्यापक के माध्यम से निर्गत सत्यापित नामांकन पंजी की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रति दी गयी है, जिसे जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन में सही पाया गया।

iii. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अंतिम जाँच प्रतिवेदन से प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिवादी के कुल पाँच जीवित संतानों में से एक संतान , पुत्र रत्नेश कुमार का जन्म–04.04.2008 के पश्चात् हुई है। स्वयं प्रतिवादी द्वारा भी अपने नामांकन–पत्र के "बायोडाटा" में शपथ–पत्र के माध्यम से स्वीकार किया गया है कि उनके कुल पाँच संतान है। इस संबंध में वादी एवं प्रतिवादी दोनों का मत एक है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती उर्मिला देवी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करते थे, इसके बावजूद वह वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–01, नगर परिषद, मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रहे। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती उर्मिला देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–01, नगर परिषद, मोतीपुर, जिला– मुजफ्फरपुर के पद से पदमुक्त

किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–01, नगर परिषद, मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती उर्मिला देवी के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–17/2024 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी
पटना, दिनांक– 28.5.25

ज्ञापांक–17/2024 2317

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी,मुजफ्फरपुर/पंचायती राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पंचायती राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

28/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी